

कार्यालय : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छिंदवाड़ा (मोप्र०)

:: परिपत्र ::

क्रमांक-Q-51 / जिऽन्याऽछिं० / 2020

छिंदवाड़ा दिनांक 22.04.2021

माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर एस.ओ.पी. दिनांक 20-04-2021 की कंडिका-4 में दिये निर्देश के आलोक में श्री राजीव कुमार अयाची, विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटी), छिंदवाड़ा को सम्पूर्ण जिला-छिंदवाड़ा के लिये कोविड-19 अनुपालन अधिकारी एवं तहसील मुख्यालय सौंसर, पांडुर्णा, परासिया, जुन्नारदेव, अमरवाड़ा, चौरई, हर्रई, तामिया हेतु पदस्थ वरिष्ठतम न्यायाधीश को कोविड-19 सहायक अनुपालन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है।

कोविड-19 अनुपालन अधिकारी एवं सहायक अनुपालन अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे अपनी-अपनी स्थापना के प्रशासनिक अधिकारीगण, मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी/ब्लाक मेडिकल ऑफिसर और अस्पताल के अन्य अधिकारियों के साथ सम्पर्क में रहेंगे तथा उनकी स्थापना के न्यायाधीशगण/कर्मचारीगण सहित उनके परिजनों के कोविड-19 के संक्रमण से ग्रसित होने की स्थिति में आवश्यक उपचार एवं भोजन आदि व्यवस्था हेतु समुचित कार्यवाही करेंगे और आवश्यकता होने पर अस्पताल में भर्ती होने पर ऑक्सीजन/वेंटीलेटर उपलब्ध करवाने हेतु यथोचित कार्यवाही करेंगे। अनुपालन अधिकारी/सहायक अनुपालन अधिकारी यथासंभव अधिवक्तागण/अभियोजन अधिकारीगण एवं जेल में निरुद्ध अभियुक्तगण को आवश्यकता होने पर आवश्यक उपचार प्रदाय करने हेतु यथोचित कार्यवाही करेंगे।

समस्त कोविड-19 सहायक अनुपालन अधिकारी तथा पूर्व में नियुक्त कोविड-19 प्रोटोकाल आफिसर श्री राजीव कुमार अयाची, कोविड-19 अनुपालन अधिकारी से सदैव संपर्क में रहते हुये उनके निर्देशानुसार कार्य संपादित करते हुये सहयोग करेंगे।

श्री राजीव कुमार अयाची कोविड-19 अनुपालन अधिकारी समय-समय पर आवश्यकतानुसार प्रधान जिला न्यायाधीश को दूरभाष पर अवगत करायेंगे और इस हेतु प्रतिवेदन प्रेषित करेंगे।

(बी०पी० शर्मा)

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
छिंदवाड़ा

प्रतिलिपि:-

- 1— निज सचिव, माननीय पोर्टफोलियो जज, उच्च न्यायालय, जबलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2— माननीय रजिस्ट्रार जनरल उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3— अध्यक्ष, जिला अधिवक्ता संघ, जिला छिंदवाड़ा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 4— अध्यक्ष, तहसील अधिवक्ता संघ, तहसील— सौंसर, पांडुर्णा, अमरवाड़ा, चौरई, परासिया, जुन्नारदेव, हर्रई, तामिया की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 5— समस्त न्यायिक अधिकारीगण, छिंदवाड़ा, सौंसर, पांडुर्णा, अमरवाड़ा, चौरई, परासिया, जुन्नारदेव, हर्रई, तामिया, सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण एवं प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, छिंदवाड़ा की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
- 6— जेल अधीक्षक, छिंदवाड़ा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 7— जिला अभियोजन अधिकारी एवं लोक अभियोजक, छिंदवाड़ा को सूचनार्थ प्रेषित।
- 8— प्रभारी अधिकारी/सिस्टम ऑफिसर जिला न्यायालय छिंदवाड़ा की ओर सभी न्यायिक अधिकारीगण को ई-मेल से सूचित किये जाने एवं जिला न्यायालय की वेब-साईट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।

५४-

(बी०पी० शर्मा)

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
छिंदवाड़ा